अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद चैट जी0पी0टी0 के माध्यम से किया गया है।

उत्तर प्रदेश कर्मचारी क्षतिपूर्ति नियमावली 1975

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 3
2. परिभाषाएँ 3
3. धारा 26 और 32(i) के अन्तर्गत व्यय का निर्धारण।
4. धारा 32 (i) के अन्तर्गत शुल्क का निर्धारण।
5. धारा 32 (2) (o) के तहत नियोक्ताओं द्वारा अधिनियम के सारांश का प्रदर्शन किया जाए।

IndiaCode

अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद चैट जी0पी0टी0 के माध्यम से किया गया है।

उत्तर प्रदेश कर्मकार क्षतिपूर्ति नियम, 1975

अधिसूचना संख्या 242 (V) XXXVI-5-400 (i)-(V)-72, दिनांक 28 अप्रैल, 1975 [1]

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 8, 1923) की धारा 32 की उप–धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप–धारा (2) के खंड (j) और (o) के साथ पठित, राज्यपाल ने सरकारी अधिसूचना संख्या 365 (Aa)/XXXVI (D)-386 (Aa)-58, दिनांक 16 अगस्त, 1971 के साथ उनके पिछले प्रकाशन के बाद, उक्त अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित निम्नलिखित नियम बनाने की कृपा की है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों को उत्तर प्रदेश कर्मकार क्षतिपूर्ति नियमावली, 1975 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

IndiaCode

2. परिभाषाएँ

1. इन नियमों में, जब तक विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो,

(a) ''अधिनियम'' का अर्थ कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 है;

(b) ''धारा'' का अर्थ अधिनियम की एक धारा है;

(c) ''आयुक्त'' का अर्थ अधिनियम में परिभाषित आयुक्त है;

(d) ''सार'' का अर्थ अधिनियम का ऐसा सार है जैसा राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है।

2. [2]शामिल कर्मकार

कर्मकार का अर्थ कोई भी व्यक्ति है (नियोक्ता के व्यापार या व्यवसाय के अलावा किसी अन्य काम में नियोजित आकस्मिक मजदूर को छोड़कर) जो अधिनियम की अनुसूची ।। में निर्दिष्ट किसी भी क्षमता में, एक हजार रुपये से अधिक मासिक वेतन पर नियोजित है। इसके अलावा, एक रेलवे कर्मचारी जो किसी रेलवे के किसी प्रशासनिक विभाग या उप–विभागीय कार्यालय में स्थायी रूप से नियोजित नहीं है, और

अधिनियम की अनुसूची प्प में निर्दिष्ट किसी भी क्षमता में नियोजित नहीं है, वह भी शामिल है। हालांकि, सशस्त्र बलों के सदस्य के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को बाहर रखा गया है। किसी स्थानीय प्राधिकरण या सरकार की ओर से काम करने वाले किसी भी विभाग की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और प्रदर्शन उनका व्यापार या व्यवसाय माना जाएगा। राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कम से कम तीन महीने का नोटिस देने के बाद, अनुसूची ।। में उन व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को जोड़ सकती है जो सरकार की राय में केवल निर्दिष्ट चोटों के संबंध में किसी खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत हैं।

3. धारा 26 और 32(i) के तहत लागत का पैमाना

(1) जहां आयुक्त यह निर्देश देता है कि लागत घटना के अनुसार नहीं होगी, वह अपने कारण लिखित रूप में बताएगा।

(2) जो लागतें दी जा सकती हैं, उनमें शामिल होंगी,

(a) कोर्ट–फीस के कारण आवश्यक रूप से खर्च किए गए शुल्क;

(b) गवाहों को निर्वाह भत्ता के लिए आवश्यक रूप से खर्च किए गए शुल्क और

(c) निम्नलिखित नियमों में निर्धारित पैमाने पर वकील की फीस।

(3) किसी भी कार्यवाही में जिसमें एकमुश्त राशि के रूप में क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन, रूपांतरण के लिए आवेदन या क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन शामिल है, अनुमत शुल्क 10 रुपये होगा, आयुक्त के विशेष आदेश के अधीन, इसे 5 रुपये से कम नहीं और प्रत्येक ऐसी कार्यवाही के लिए 50 रुपये से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। अन्य सभी आवेदनों में, अनुमत शुल्क 5 रुपये होगा, जिसे विशेष आदेश द्वारा 20 रुपये से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

(4) जब कोई पक्ष किसी मामले का संचालन या बचाव करने के लिए एक से अधिक वकील नियुक्त करता है, तो उसे केवल एक सेट लागत की अनुमति दी जाएगी।

(5) जब कई प्रतिवादी, जिनका मूल रूप से एक ही बचाव करना है, कई वकील नियुक्त करते हैं, तो उन्हें केवल एक सेट लागत की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में, सुनवाई के समय आवेदक के लिए यह पूछना होगा कि अदालत अलग–अलग लागतों की अनुमति दे।

IndiaCode

(6) जब दो या दो से अधिक आश्रितों ने अलग–अलग महत्वपूर्ण बचाव किए हैं और एक वकील की सेवा ली है, तो उन्हें अलग–अलग लागतों की अनुमति दी जाएगी। इस मामले में, प्रतिवादी के हित में होगा कि वह सुनवाई के समय अलग–अलग लागतों के लिए आवेदन करे।

(7) जब अलग–अलग बचाव वाले कई प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अलग–अलग वकील करते हैं, तो वे अलग–अलग लागतों के हकदार होंगे।

(4) फीस का पैमाना, धारा 32 (i) के तहत

(1) इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित फीस देय होगी।

I.	क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन (a) जहाँ क्षतिपूर्ति बार–बार पेमेंट के रूप में मांगी गयी हो। (b) जहाँ क्षतिपूर्ति एकमुश्त रकम के रूप में मांगी गयी हो, एक रुपया, जहाँ धनराशि 500 रुपये से ज्यादा न हो। हर अतिरिक्त 500 रुपये या उसके हिस्से के लिए, एक रुपये की फीस।	पचास पैसे
II.	कम्यूटेशन के लिए आवेदन (a) पार्टियों के बीच समझौते से (b) अन्य सभी मामलों में	पचास पैसे दो रुपये
III.	क्षतिपूर्ति की रकम जमा करने के लिए आवेदन एक्ट की धारा 8 (1) के तहत एक्ट की धारा 8 (2) के तहत (हर उस व्यक्ति के संबंध में जिसे क्षतिपूर्ति देना है)	 शून्य पचास पैसे
IV.	आश्रित व्यक्ति द्वारा वितरण के लिए आवेदन प्रत्येक आश्रित के लिए	एक रुपया
V.	रिव्यू के लिए आवेदन (a) जहाँ मांगा गया रिव्यू अर्ध–मासिक भुगतानों को जारी रखने, बढ़ाने, घटाने या खत्म करने के संबंध में हो (b) जहाँ अर्ध–मासिक भुगतानों को एकमुश्त राशि में बदलने की मांग की	पचास पैसे दो रुपये।

	गई हो (c) अन्य सभी मामलों में	एक रुपया
VI.	समझौतों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन (a) जहां आवेदन या दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का ज्ञापन (b) अन्य सभी मामलों में	 शून्य पचास पैसे
VII.	गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन (a) आवेदन में बताए गए पहले गवाह के लिए (b) हर अगले गवाह के लिए	 पचास पैसे पच्चीस पैसे
VIII.	आवेदन, क्षतिपूर्ति	तीन रुपये
IX.	क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए आवेदन (a) कमिश्नर द्वारा पहले ही पास किए गए आदेश के तहत (b) अन्य सभी मामलों में। वही फीस जो क्षतिपूर्ति के लिए इसी तरह के आवेदन पर देय है	 पचास पैसे
X.	सभी आवेदन जो अन्यथा नहीं हैं।	पचास पैसे

(2) ''X'' हेड के तहत आने वाले किसी भी एप्लीकेशन के मामले में, कमिश्नर अगर चाहें तो एप्लीकेशन बिना फीस के जमा करने की इजाज़त दे सकते हैं।

(3) अगर किसी भी मामले में, कमिश्नर को लगता है कि उसे आवेदक द्वारा मांगे गए रिलीफ से अलग तरह का या अलग हद तक रिलीफ देने का ऑर्डर देना चाहिए, और अगर उस रिलीफ के लिए आवेदन पर आवेदक को जो फीस देनी होती, वह असल में दी गई फीस से ज्यादा है, तो कमिश्नर आवेदक से अंतर के बराबर फीस जमा करने के लिए कह सकता है।

5. धारा 32 (2) (o) के तहत मालिकों द्वारा अधिनियम का सारॉश प्रदर्शित करना

(1) प्रत्येक मालिक अपने प्रतिष्ठान में, एक प्रमुख स्थान पर, अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य प्रावधानों का सार प्रदर्शित करेगा।

(i) 'आश्रित', 'आंशिक विकलांगता' और 'पूर्ण विकलांगता' की परिभाषा, जो अधिनियम की धारा की उप–धारा (1) के क्रमशः खंड (क), (ह) और (I) में दी गई है।

(ii) कवर किए गए कर्मचारी

(iii) क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता की ज़िम्मेदारी

(iv) क्षतिपूर्ति की राशि

(v) व्यावसायिक बीमारियाँ जिनके लिए क्षतिपूर्ति देय है

(vi) क्षतिपूर्ति को सौंपा, अटैच या चार्ज नहीं किया जा सकता

(vii) नोटिस और दावा

(viii) कॉन्ट्रैक्टिंग

(ix) कॉन्ट्रैक्टिंग आउट

(x) पार्टियों की उपस्थिति

IndiaCode

(2) इन नियमों के तहत दिखाया जाने वाला एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से दिखाया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति उसे देख और पढ़ सकें।

(3) एब्स्ट्रैक्ट अंग्रेजी के साथ–साथ देवनागरी लिपि में हिंदी में और किसी अन्य ऐसी क्षेत्रीय भाषा में होगा जिसे नियोक्ता के प्रतिष्ठान में काम करने वाले ज़्यादातर मज़दूर समझते हों।

(4) एब्स्ट्रैक्ट को ज़रूरत पड़ने पर अपडेट किया जाएगा और/या ठीक से रिवाइज किया जाएगा और जब भी यह खराब हो जाए या पढ़ने लायक न रहे तो नियोक्ता द्वारा इसे तुरंत बदला जाएगा।